हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थीनी प्रेमलता बनाम विप्रार्थी श्याम वगै0 राजस्व विविध संख्या 107 / 2022 दिनांक 23.8.22	

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1व 3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या –1 के वकील ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभय पक्ष की सुनी गयी वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व दोहराते दावा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दोहराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । वकील विप्रार्थी ने जबाब में प्रार्थना पत्र तथ्यों को अस्वीकार किया व विशेष कथन किया की प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या – 4 व 5 उक्त भूमि में हिस्सा लेना नहीं चाहती थी इसलिए फौतगी म्यूटेशन विप्रार्थीग संख्या 1 से 3 के नाम पारित किया गया है । मांगीलाल के वारिसान के विरूद्व भीमसिंह के द्वारा दायर वाद का फैसला मांगीलाल के वारिसान के हक में होता है तो उक्त भूमियों के छोटे –छोटे टूकडें नहीं हो व मुकदमें में हुए खर्च के बिन्दु को ध्यान में रखकर यह तय किया कि उक्त वादग्रस्त भूमियों में से खसरा संख्या 788, 789, 790 / 1002 की सम्पूर्ण भूमि विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के स्वामित्व मालिकान की रहेगी, शेष भूमिया खसरा संख्या 782, 783, 785, 786 व 787 में भविष्य में हिस्सा प्राप्त करना चाहेगी तो हिस्से बाबत सहमति बनी इस कारण प्रार्थीनी ने खसरा संख्या 788, 789, 790 / 1002 के सम्बन्ध में गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

हमने उभय पक्षकारन की बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया । सम्बनधित विधि का अध्ययन किया चूकिः वादग्रस्त भूमियों के खसरान का रकबा छोटा छोटा है तथा सभी भूमियों कि किस्म एक समान है । इसलिये प्रार्थीनी के द्वारा चाहा गया 1/6 का अनुतोष प्राप्त होने वाली भूमि का भाग खसरा संख्या 782, 783, 785, 786 व 787 कुल रकबा 8–10 विस्वा में 2 बीघा 06 विस्वा 16 विस्वासी भूमि प्रार्थीनी के 1/6 हिस्से में बनना पायी जाती है जो रकबा उपरोक्त खसरों में पूर्ण हो सकता है । ऐसा करने से किसी पक्षकार का असुविधा व क्षति नहीं होगी, समस्त खसरों की भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पक्षकान को असुविधा होगी जिससे विवाद भी बढेगा ।

बाद गौर प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी आशिंक स्वीकार कर मौजा मण्डापुरा के भूमि खसरा संख्या 782, 783, 785, 786 व 787 कुल रकबा 8 बीघा 10 विस्वा में से में 2 बीघा 06 विस्वा 16 विस्वासी की हद तक रेकर्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश दिनांक 25.4.2022 मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है तथा खसरा संख्या 788, 789, 790 / 1002 की व खसरा संख्या 782, 783, 785, 786 व 787 के शेष रकबा की हद तक यथास्थिति का आदेश दिनांक 25.4.2022 को निरस्त किया जाता है । उक्त तीनो खसरों 788, 789, 790 / 1002 व शेष रकबा पर कोई अन्तरिम निषेधाज्ञा का प्रभाव नहीं रहेगा । आदेश सुना गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested